No.CDN-27011/2/2019-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 15.05.2019

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of April, 2019 is enclosed for information.

(Hemant Verma)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23389622

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Cabinet Secretary, Cabinet Secretariat, New Delhi
2. Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
3. Secretary to the Vice- President of India, Vice President's Secretariat, New Delhi.
4. The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
9. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research,C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
15. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

(i) Economic Advisor, MCA
(ii) Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(iii) Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of April., 2019"

(Hemant Verma)
Under Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF APRIL, 2019

1. Notifications:-

(i) The Ministry, with the objective of reducing the number of procedures required to start a business in the Country, has introduced a new eform namely AGILE (INC-35) (Application for Goods and Services Tax Identification Number, employees state Insurance corporation registration Plus employees provident fund organization registration) by inserting Rule 38A in Companies (Incorporation) Rules, 2014 vide Notification no. G.S.R. 275(E) dated 29.03.2019 enabling submission of an Application for registration of the Goods and Service Tax Identification Number (GSTIN), Employees' State Insurance Corporation (ESIC) registration and Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) registration along with the Integrated company Incorporation Form SPICE. This eform is required to be filed along with application for incorporation of a company under rule 38 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.

(ii) The Ministry extended the last date of filing of eform ACTIVE (Active Company Tagging Identities and Verification) from 25th April, 2019 to 15th June, 2019 without fee by amendment in item VIII-FEE FOR FILING e- Form ACTIVE under rule 25A of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 in the Annexure of Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 vide Notification no. G.S.R. 329(E) dated 25.04.2019. As of now around 4.75 Lakh companies have completed their KYC.

(iii) The Ministry extended the last date for filing of eform ACTIVE (Active Company Tagging Identities and Verification) from 25th April, 2019 to 15th June, 2019 by amendment in sub rule (1) and sub rule (2) of rule 25A of Companies (Incorporation) Rules, 2014 vide Notification no. G.S.R. 332(E) dated 25.04.2019.

(iv) The Ministry extended the last date of filing eform DIR-3 – KYC from 30th April of immediate next financial year to 30th June of immediate next financial year by amending Rule 12A of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 vide Notification no. G.S.R. 339(E) dated 30.04.2019.

(v) The Ministry prescribed the additional/advalorem fees for filing charge documents by companies by inserting sub-item "E. Fees for filing charge documents" in Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 vide Notification no. G.S.R. 340(E) dated 30.04.2019.

(vi) The Ministry has modified the time period for filing the return on deposits in form DPT-3 by making it applicable from 1st April, 2014 to 31st March, 2019 by

amending Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 vide notification no. G.S.R. 341(E) dated 30.04.2019. The date within which the DPT-3 was required to be filed has also been extended by substituting the words, figures and letters "ninety days from 31st March, 2019" in place of the words "ninety days from the date of said publication of this notification" in the said amendment.

2. Circulars:-

(i) The Ministry vide General Circular No. 04/2019 dated 04.04.2019 has extended the last date for filing e-form CRA-2 without additional fees upto 31.05.2019 where the company has been mandated to get its cost records audited for the first time under Companies Act, 2013 on account of Companies (Cost Records and Audit) Amendment Rules, 2018 as notified vide G.S.R. I 157(E) dated 03.12.2O18.

(ii) The Ministry vide General Circular No. 05/2019 dated 12.04.2019 stated that DPT-3 should be filed to cover the data on deposits upto 31.03.2019 (as opposed to 22nd January, 2019 which was originally indicated in the said Rule). Further, pending the deployment of DPT-3 Form on MCA 21 portal and in order to avoid inconvenience to stakeholders on account of various factors, it is stated that the additional fee, as provided under the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, shall be levied after 30 days from the date of deployment of the DPT- 3 form on MCA 21 portal.

3. During the month of April, 2019, two (02) antitrust cases were filed before the Competition Commission of India (Commission). With regard to combination notices, four (04) new combination notices were received while nine (09) combination notices were disposed of by the Commission during the month. The Commission closed two (02) cases under Section 26(2) of the Competition Act, 2002 (Act).

4. The Commission initiated a new monthly lecture series under the name "Special Lecture Series (SLS)" and the first lecture was organized on 12th April, 2019 on the topic "Policy Uncertainty and Firm Response: Do Foreign Firms React Differently to Domestic Firm?" at Commission's office.

5. On 10th April, 2019,Delhi High Court pronounced its landmark judgment in relation to the petitions filed by original equipment manufacturers of passenger cars declaring section 22(3) i.e. a casting vote by the Chairperson subject to difference in opinion in the Commission's members, of the Act unconstitutional. Also, the court made it mandatory for the Commission to have a judicial member, under section 8 of the Act, at all times during the Commission's proceedings.

6. The Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) with Nuclear Power Corporation of India (NPCIL) concluded a two day program on "Governance Performance Appraisal" on 11-12 April 2019 in Mumbai. Also, IICA's School of Competition Law & Market Regulation conducted a high-level course under the aegis of SAFIR during 5 - 8 April 2019 at Manesar for 16 officials from regulatory authorities from South Asian countries. The participants from India, Bangladesh, Bhutan and Sri Lanka represented power, telecommunications, port, utilities sectors.

7. IICA recently commenced 3rd batch of Advanced Professional Course in Competition Law and Market Regulation which is being attended by 20 officers of Govt of India and executives from PSUs, private firms, law firms etc. Also, School of Finance IICA, in association with National Centre for Good Governance, successfully conducted 5-day training program on Public Private Partnerships (PPP) for 29 Gujarat Government Officers.

8. The Roundtable on "Investor Protection@ Investor Awareness: Stakeholders' Perspectives and Way Forward" was organized on Friday, 26th April 2019 at 11.00 A.M. at the Juniper, India Habitat Centre, New Delhi. The roundtable was a part of the ongoing IEPF Project by the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) and Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA). As a part of the project, a nation-wide survey was conducted by IICA on Assessment of Financial Capability in India in 2018. The roundtable was held primarily to validate the survey findings and deliberate upon the recommendations that followed in the report.

The roundtable was well attended by nearly 90 delegates who were invited from Ministry of Corporate Affairs, IEPFA, SEBI, RBI PFRDA, IRDA, NCFE, ICLS Academy, NSE, BSE, MCX, LIC of India, NSDL, CDSL, TATA Capital, SHCIL, ICAI, ICSI, ICMAI, FICCI, CII, ASSOCHAM, AMFI, PHD Chamber of Commerce and Industry, and representatives of Press and Electronic Media.

सं. सीडीएन-27011/2/2019-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 15.05.2019

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अप्रैल, 2019 माह के मासिक सार की प्रति सूचनार्थ संलग्न है।

(हेमंत वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23389622

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. कैबिनेट सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
3. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
4. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
9. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
10. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
12. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
13. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
14. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
15. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि इन्हें भी प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का अप्रैल, 2019 का मासिक सार" शीर्ष के अंतर्गत अपलोड करने के लिए।

(हेमंत वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अप्रैल, 2019 माह के दौरान लिए गए नीतिगत निर्णय और मुख्य उपलब्धियां

1. **अधिसूचनाएं:-**

(i) मंत्रालय ने देश में व्यापार आरंभ करने के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रक्रियाओं को कम करने के उद्देश्य से दिनांक 29.03.2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.275(अ) द्वारा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में नियम 38क सम्मिलित करते हुए एक नया ई-प्ररूप अर्थात् एजीआईएलई (आईएनसी-35) (वस्तु और सेवा कर पहचान संख्या, कर्मचारी राज्य बीमा निगम पंजीकरण और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पंजीकरण के लिए आवेदन) प्रवर्तित किया, ताकि समेकित कंपनी निगमन प्ररूप एसपीआईसीआई के साथ-साथ वस्तु और सेवा कर पहचान संख्या (सीएसटीआईएन) के पंजीकरण के लिए आवेदन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) पंजीकरण और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का पंजीकरण सुनिश्चित हो सके। यह ई-प्ररूप कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 38 के अधीन कंपनी के निगमन हेतु आवेदन के साथ दायर किया जाना अपेक्षित है।

(ii) मंत्रालय ने दिनांक 25.04.2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.329(अ) द्वारा कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 के अनुलग्नक में कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 25क के अधीन ई-प्ररूप एक्टिव भरने के लिए शुल्क मद-VIII में संशोधन करते हुए बिना किसी शुल्क के ई-प्ररूप एक्टिव (सक्रिय कंपनी टैगिग पहचान और सत्यापन) को भरने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल, 2019 से बढाकर 15 जून, 2019 कर दी है। अब तक लगभग 4.75 लाख कंपनियों ने अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है।

(iii) मंत्रालय ने दिनांक 25.04.2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.332(अ) द्वारा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 25क के उपनियम (1) और उपनियम (2) में संशोधन करते हुए ई-प्ररूप एक्टिव (सक्रिय कंपनी टैगिंग पहचान और सत्यापन) दायर करने की अंतिम तारीख को 25 अप्रैल, 2019 से बढाकर 15 जून, 2019 कर दिया है।

(iv) मंत्रालय ने दिनांक 30.04.2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.339(अ) द्वारा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के नियम 12(क) में संशोधन करते हुए ई-प्ररूप डीआईआर-3 केवाईसी दायर करने की अंतिम तारीख को अगले वित्त वर्ष की 30 अप्रैल से बढा कर अगले वित्त वर्ष की 30 जून तक कर दिया है।

(v) मंत्रालय ने दिनांक 30.04.2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.340(अ) द्वारा कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में उप-मद "ड.प्रभार दस्तावेज दायर करने के लिए शुल्क" को समाविष्ट करके कंपनी द्वारा प्रभार दस्तावेज दायर करने के लिए अतिरिक्त/यथामूल्य शुल्क नियत कर दिया है।

(vi) मंत्रालय ने 30.04.2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 341(अ) द्वारा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में संशोधन करते हुए प्ररूप डीपीटी-3 में जमा-विवरणी दायर करने की समयावधि को संशोधित करते हुए 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2019 तक प्रयोज्य कर दिया है। डीपीटी-3 फाइल करने की अपेक्षित तारीख को भी उक्त संशोधन में "इस अधिसूचना के उक्त प्रकाशन की तारीख से नब्बे

दिन" शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 2019 से नब्बे दिन" शब्दों, अंकों और वर्णों को प्रतिस्थापित करते हुए बढा लिया है।

2. **परिपत्रः-**

(i) मंत्रालय ने दिनांक 04.04.2019 के सामान्य परिपत्र संख्या 04/2019 द्वारा ई-प्ररूप सीआरए-2 को फाइल करने की अंतिम तारीख को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31.05.2019 तक बढा दिया है जहां कंपनी को दिनांक 03.12.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1157/(अ) के अनुसार अधिसूचित कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखा-परीक्षा) संशोधन नियम, 2018 के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पहली बार अपने लागत अभिलेखों की लेखा-परीक्षा कराने के लिए अधिदेशित किया गया है।

(ii) मंत्रालय ने दिनांक 12.04.2019 के सामान्य परिपत्र संख्या 05/2019 के तहत कहा है कि डीपीटी-3 को 31.03.2019 (22 जनवरी, 2019 के विरूद्ध जैसा कि उक्त नियम में मूल रूप से इंगित किया गया था) तक जमा राशियों के डाटा को कवर करने के लिए फाइल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, डीपीटी-3 का एमसीए21 पोर्टल पर डाला जाना लंबित रखने और विभिन्न कारकों की वजह से पणधारकों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए, बताया जाता है कि एमसीए21 पोर्टल पर डीपीटी-3 प्ररूप को डाले जाने की तारीख से 30 दिनों के बाद कंपनी (कार्यालयों का पंजीकरण और शुल्क) नियम, 2014 के अधीन यथा उपबंधित अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

3. अप्रैल, 2019 माह के दौरान, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष दो (02) विश्वासरोधी मामले दायर किए गए थे। संयुक्त नोटिसों के संबंध में यह है कि माह के दौरान आयोग को चार (04) नए संयुक्त नोटिस प्राप्त हुए जबकि आयोग द्वारा इस माह के दौरान नौ (09) संयुक्त नोटिसों का निपटान किया गया । आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 26(2) के अधीन दो (02) मामलों को बंद कर दिया।

4. आयोग ने "विशेष व्याख्यान ऋृखला" नाम से एक नई मासिक व्याख्यान ऋृखला आरंभ की और 12 अप्रैल, 2019 को आयोग के कार्यालय में "नीतिगत अनिश्चितता और ठोस प्रत्युत्तरः क्या विदेशी फर्म देशी फर्मों के साथ अलग ढंग से पेश आती हैं" नामक शीर्षक से पहला व्याख्यान आयोजित किया।

5. 10 अप्रैल, 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने यात्री कारों के मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा दायर की गई याचिकाओं के संबंध में ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें अधिनियम की धारा 22(3) अर्थात् आयोग के सदस्यों की राय में भिन्नता होने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा अपना मत देने, को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने आयोग की कार्यवाहियों के दौरान हर समय अधिनियम की धारा 8 के अधीन आयोग में एक न्यायिक सदस्य का होना अनिवार्य कर दिया।

6. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) के साथ मिलकर "शासन कार्य-निष्पादन मूल्यांकन" पर मुंबई में 11 और 12 अप्रैल, 2019 को दो दिवसीय कार्यक्रम संपन्न किया। आईआईसीए के स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ एंड मार्केट रेग्यूलेशन ने भी दक्षिण एशियाई देशों के विनियामक प्राधिकरणों के 16 अधिकारियों के लिए मानेसर में 5 से 8 अप्रैल, 2019 के दौरान एसएएफआईआर के तत्वावधान में उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम का आयोजन किया। भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के प्रतिभागियों ने ऊर्जा, दूरसंचार, बंदरगाह, जनसुविधा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

7. आईआईसीए ने हाल ही में, प्रतिस्पर्धा विधि और बाजार विनियमन में अग्रवर्ती व्यावसायिक पाठ्यक्रम का तीसरा बैच शुरू किया जिसमें भारत सरकार के 20 अधिकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, निजी कंपनियों और विधि कंपनियों आदि के कार्यपालक इस पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं। स्कूल ऑफ फाइनेंस, आईआईसीए ने भी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के सहयोग से गुजरात सरकार के 29 अधिकारियों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

8. "निवेशक संरक्षण" @'निवेशक जागरूकता: पणधारकों के दृष्टिकोण और आगे का मार्ग" विषय पर दिनांक 26 अप्रैल, 2019 को शुक्रवार को सुबह 11 बजे नई दिल्ली के जूनिपर, इंडिया हेबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) की मौजूदा आईईपीएफ परियोजना का सतत् हिस्सा था। इस परियोजना के हिस्से के रूप में वर्ष 2018 में भारत की वित्तीय क्षमता के मूल्यांकन के बारे में आईआईसीए द्वारा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन प्राथमिक रूप से सर्वेक्षण के परिणामों को मान्यता देने तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर विचार विमर्श के लिए किया गया।

गोलमेज सम्मेलन में लगभग 90 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय, आईईपीएफए, सेबी, आरबीआई, पीएफआरडीए, आईआरडीए, एनसीएफई, आईसीएलएस अकादमी, एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स भारतीय जीवन बीमा निगम, एनएसडीएल, सीडीएसएल, टाटा कैपिटल, एसएचसीआईएल, आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई, फिक्की, सीआईआई, एसोचेम, एएमएफआई, पीएचडी चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री से और प्रेस एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था।

*****